

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 3291 / 2018

गोपाल लाल सेन

बनाम

श्रीमती लल्लीदेवी

आदेश दिनांक :

07.08.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री पी एल शर्मा, अधिवक्ता-अपीलार्थी की ओर से।

सुना गया।

प्रत्यर्थीया को अपील तथा स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस तामील हेतु दो सप्ताह में वापिसी योग्य जारी किये जावें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल वाद तथा आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का अभिलेख भी तलब किया जावे।

नोटिस तथा तलबी चिट्ठी अधिवक्ता अपीलार्थी की प्रार्थनानुसार दस्ती उपलब्ध कराये जावें।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति